



Neutral Citation No. - 2026:AHC:16388

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 44925 वर्ष 2025

अमन

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: अतुल श्रीवास्तव, चंद्र प्रकाश मिश्रा, मनीष कुमार सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल श्रीवास्तव और श्री चंद्र प्रकाश मिश्रा, राज्य के विद्वान एजीए श्री विजेंद्र कुमार त्रिपाठी की बात सुनी और रिकॉर्ड पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का अवलोकन किया।

यह आवेदक द्वारा दायर की गई दूसरी जमानत याचिका है। वर्तमान आवेदक द्वारा दायर पहली

जमानत याचिका को इस न्यायालय ने दिनांक 25.8.2025 को आपराधिक विविध जमानत याचिका

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संख्या 44558/2024 में पारित विस्तृत आदेश द्वारा खारिज कर दिया था, जिसकी एक प्रति जमानत याचिका के अनुलग्नक-1 के रूप में रिकॉर्ड पर लाई गई है।

आवेदक अमन ने यह दूसरी जमानत याचिका दायर की है जिसमें प्रार्थना की गई है कि उसे मुकदमा अपराध संख्या 283/2024, धारा 140 (1), 333, 324 (4), 115 (2), 191 (@), 103 (1), 238 भारतीय न्याय संहिता, 2023, पुलिस स्टेशन कोतवाली, जिला बस्ती, में अवर न्यायालय के समक्ष मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा किया जाए।

इस दूसरी जमानत याचिका के समर्थन में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने पहली जमानत याचिका में दिए गए सभी तर्कों को दोहराया है, जिनका इस न्यायालय द्वारा यहां दोबारा उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी-आवेदक निर्दोष है। उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है और वह 14.7.2024 से जेल में बंद है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि ऋषु पांडे का बयान सीबीसीडी के समक्ष दर्ज किया गया था, जिसमें उसने अपने पहले के बयान दिनांक 12.7.2024 में धारा 12.7.2024 के तहत दर्ज किए गए आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने आगे बताया कि सीसीटीवी फुटेज में वीडियो स्पष्ट नहीं था, इसलिए वह आरोपी व्यक्तियों को पहचान नहीं पाया। आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं था और उसका नाम गवाह ऋषु पांडे के दिनांक 12.7.2024 के बयान के आधार पर इस मामले में दर्ज किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रथम गवाह अविनाश सिंह और द्वितीय गवाह ऋषु पांडे के बयान ट्रायल न्यायालय के समक्ष दर्ज किए गए थे और उनकी जांच के दौरान उन्हें विरोधी गवाह घोषित किया गया था। उनसे डीजीसी द्वारा जिरह भी की गई थी, लेकिन वे अभियोजन

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पक्ष के मामले का समर्थन करने में विफल रहे। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और जमानत पर रिहाई की स्थिति में उसके न्याय से भागने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए, जमानत की प्रार्थना की गई है।

विद्वान अटॉर्नी जनरल ने जमानत की अर्जी का पुरजोर विरोध किया है।

उपरोक्त सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता, कारावास की अवधि और सहायक साक्ष्यों की प्रकृति, गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम दृष्टया मामले को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मामले की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

अतः जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

उपरोक्त मामले में आरोपित-आवेदक, **अमन**, को, अपराध संख्या संख्या के संबंध में, व्यक्तिगत मुचलके और दो विश्वसनीय जमानतों को, समान राशि के, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप प्रस्तुत करने पर, जमानत पर रिहा किया जाए। निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

1. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।
4. आवेदक ट्रायल न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, अवर न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

22 जनवरी 2026

रवि प्रकाश

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।